<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–115/2021</u>

संजय प्रसाद..वादी
बनाम
भिखा चौधरी..प्रतिवादी

<u>12.08.2022</u> वादी की पैरवी है। अभिलेख वादी की ओर से आवेदन दिनांक 28.06.2022 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल किया गया है।

वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु नियत है तथा वादपत्र में टंकक की गलती से प्रतिवादी कॉलम में प्रतिवादी का नाम भिखी चौधरी के स्थान पर भिखा चौधरी टंकित हो गया है, जिसे सुधार करना आवश्यक है। अतः वादपत्र में संशोधन की अनुमति दी जाय।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वादी का संशोधन आवेदन औपचारिक प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तथा वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में अपेक्षित संशोधन करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 01.09.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)